

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा मध्यप्रदेश

क्रमांक 04

हरदा, दिनांक 09/01/25

परिपत्र

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि न्यायिक कर्मचारीगण अनाधिकृत रूप से कर्मचारीगण के व्हाट्सएप ग्रुप में जानकारीयों प्रेषित कर रहे हैं, जिनसे कार्यालयीन गोपनीयता भंग हो रही है और साथ ही साथ भ्रामक जानकारीयों भी प्रसारित हो रही हैं।

अतः यह आदेशित किया जाता है कि कोर्ट मैनेजर, प्रशासनिक अधिकारी/उपप्रशासनिक अधिकारी, लेखापाल, सहायक लेखापाल, जिला नाजिर, नायब नाजिर, सिस्टम ऑफिसर या सांख्यिकी लिपिक को छोड़कर कोई भी कर्मचारी कार्यालयीन कोई भी जानकारी कर्मचारीगण के किसी व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित नहीं करेगा।

उक्त निर्देशों का उल्लंघन कार्यालयीन गोपनीयता का भंग मान्य किया जाएगा और संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा, मध्यप्रदेश

o/c

पृष्ठांकन क्रमांक 29(1-2)
प्रतिलिपि यथाआदेश -

हरदा, दिनांक 9-1-25

1. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
2. समस्त न्यायालय, हरदा/टिमरनी/खिरकिया
3. समस्त अनुभाग, हरदा/टिमरनी/खिरकिया
की ओर सूचनार्थ और पालनार्थ प्रेषित।
4. सिस्टम ऑफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग हरदा की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित की परिपत्र को ई-मेल के माध्यम प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा, मध्यप्रदेश

o/c